तलाक़ और उससे उत्पन होने वाले समाजी मसाइल

1-आक़िल बालिग़ लड़के और लड़कियां अपने निकाह के रिश्ते के सम्बन्ध में शरई लिहाज से ख़ुदमुख्तार व आत्मर्निभर होते हैं। और उनकी रज़ामन्दी (अनुमति) के बिना निकाह आयोजित (मुनअक़िद) नहीं होता है। अगर वालिदैन की राय के विपरीत अपने लिए रिश्ता चुनते हैं और निकाह कर लेते हैं तो निकाह मुनअक़िद हो जाएगा। परन्तु पसन्दीनद तरीक़ा यह है कि शरीअत की हिदायत के अनुसार रिश्ता-ए-निकाह बालिग़ औलाद और उनके वालिदैन दोनों को इच्छा और पसन्द का ख़्याल रखते हुए अंजाम पाना चाहिए। ना तो औलाद अपने वालिदैन के अनुभव और सलाह को नज़र अन्दाज़ करें और न वालिदैन औलाद की पसन्द को एकदम से ठुकरा दें, हालांकि इमाम शाफ़ई (रह0) के नज़दीक बालिग़ लड़की का निकाह भी वली (सरपरस्त) की इजाज़त के बग़ैर सही नहीं है।

2-तलाक़ को शरीअत ने सबसे ना पसन्दीदा अमल ठहराया गया है लिहाज़ा जहां तक मुम्किन हो इससे बचना चाहिए और केवल उसी समय तलाक़ का रास्ता अपनाना चाहिए जब पति-पत्नी के बीच आपास में निबाह की कोई सूरत बाक़ी न रह जाए, लिहाजा यह सही नहीं है कि वालिदैन अपनी ज़ाती ना पसन्द के कारण बेटे को मजबूर करें कि वह अपनी पत्नी को तलाक़ दे दे और बेटे पर वालिदैन की ऐसी बात मानना ज़रूरी नहीं है।

3-इद्दत के बाद तलाक़ याफ़ता (मुतल्लक़ा) का नफ़्क़ा (गुज़ारा-भत्ता) क्योंकि पहले पति पर शरीअत के अनुसार लाज़िम नहीं होता है इसलिए इस मक़सद के लिए अदालत में जाना जाइज नहीं और अदालत से दिलाई जाने वाली ऐसी रक़म का इस्तेमाल उसके लिए हलाल नहीं।

4-इस्लाम ने तलाक़ शुदा के निकाह की तरग़ीब दी है। इसलिए तलाक़ शुदा औरत अगर आत्म निर्भर है तो उसके निकाह के इख़राजात (ख़र्च) ख़ुद उसके ज़िम्मे होंगे वरना उसके निकाह के ख़र्चों की ज़िम्मेदारी उसके औलिया यानि अभिभावक पर होगी, अभिभावकों को उसके निकाह की फ़िक्र करनी चाहिए।

5-मुतल्लक़ा अगर आत्म निर्भर है तो उसका नफ़्क़ा इद्दत ग़ुज़र जाने के बाद स्वयं उसके ज़िम्मे है, अगर वह आत्म निर्भर नहीं है तो उसका नफ़्क़ा उसके औलिया अभिभावकों पर लाज़िम है। अगर अभिभावक गुंजाइश के बावजूद अदा नहीं करते हैं तो वे गुनाहगार होंगे और अगर औलिया बूता यानि हैसियत न रखते हों तो मुतल्लक़ा के नफ़क़े की ज़िम्मेदारी ख़ानदान के लोगों पर और समाज पर होगी और जब ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो क्षेत्रिय बक़्फ़ बोर्ड पर उसकी ज़िम्मेदारी लागू होगी।

6-जब आपस में निबाह की सूरत बाक़ी न रहे और तलाक़ की ज़रूरत पेश आ जाए तो उस समय एक तकलाक़ देकर रिश्ता ख़त्म करना चाहिए, हालांकि अगर किसी शख़्स ने लफ़्ज़ तलाक़ या जुमला तलाक़ को तीन बार दुहराते हुए तलाक़ दी है और वह कहता है कि मेरा मक़सद एक तलाक़ देना है दूसरी और तीसरी बार

मैंने ताकीद के तौर पर कही है तो ऐसी हालत में मुफ्ती उस से बयान हल्फ़िया लेकर एक तलाक़ रजई का फ़तवा देगा, परन्तु मुफ्ती मुहम्मद उस्मान बस्तवी साहब की राय में यह भी शर्त है कि बीवी (पत्नी) को पति के हल्फ़ (क़समिया ब्यान) पर भरोसा हो।

नोटः मुफ्ती नेअमतुल्लाह क़ासमी, मौलाना अख्तर इमाम आदिल क़ासमी, मुफ्ती अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ासमी (अमरोहा), मुफ्ती यूसुफ़ अली साहब (आसाम), मुफ्ती जुनैद फ़लाही (इन्दौर), मौलाना महबूब फ़रोग़ अहमद क़ासमी, और कुछ दूसरे हज़रात के नज़दीक इस सूरत में तीन तलाक ही लागू होगी, जब्कि मुफ्ती जुनैद बिन मुहम्मद पालनपूरी की राय है कि दयानतन एक ही तलाक़ लागू होगी। परन्तु औरत को अपने आप पर क़ाबू देना जाइज नहीं होगा, इसको फिर भी खुलआ की कोशिश करके अलग होना ज़रूरी है।

☆☆☆